BSES RAJDHANI
BSES Bhawan, Nehru Place, New Delhi – 110019

# स्पेशल कोर्ट ने बिजली चोर पर अलग से जुर्माना ठोंका, कहा- भुगतान करो, नहीं तो होगी जेल

- पंजाबी बाग के बिजली चोर पर बीएसईएस ने किया 30 हजार का जुर्माना
- पहले आरोपी ने कहा कि वह निर्दोष है, इसलिए मामले की सुनवाई कोर्ट में हो
- फिर, सुनवाई के दौरान खुद ही कबूल किया कि उसने बिजली चोरी की थी
- उसने बीएसईएस द्वारा किए गए जुर्माने की रकम अदा कर दी
- पर, अदालत ने सख्त होते हुए और 5000 रूपये का जुर्माना ठोंका

नई दिल्ली, 30 मई, 2007। मामला जरा हटकर है। इस बार स्पेशल कोर्ट ने बिचली चोर को सिर्फ यह नहीं कहा कि वह बीएसईएस द्वारा किए गए जुर्माने की रकम अदा करे, बल्कि कोर्ट ने अलग से भी आरोपी पर जुर्माना ठोंक दिया। साथ ही, यह भी कहा कि अगर आरोपी कोर्ट द्वारा किए गए जुर्माने की रकम का भुगतान नहीं करता है, तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी।

दरअसल, बीएसईएस की एन्फोर्समेंट टीम ने 22 दिसंबर, 2005 को सी- 368 जेजे कॉलोनी, मादीपुर, पंजाबीबाग में बिजली चोरी के खिलाफ छापा मारा था और इस स्थान के मालिकों और निवासियों को मीटर को बायपास करके बिजली की चोरी करते हुए पकड़ा था। बाद में उनके खिलाफ भारतीय बिजली कानून की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपियों पर 29,712 रूपये का जुर्माना किया गया। लेकिन आरोपियों ने कहा कि वे निर्दोष हैं और मामले की सुनवाई कोर्ट में की जाए।

छापेमारी के दौरान इलाके के लोगों ने बीएसईएस टीम को बताया कि जिस "नंदिनी चौहान भवन" पर छापा मारा गया है, उसकी एक निवासी नंदिनी चौहान भी है। लेकिन बाद में पता चला कि नंदिनी, आरोपी मीनू राम की पोती है और वह बच्ची है। इसके बाद बीएसईएस ने अर्जी देकर नंदिनी का नाम सह आरोपी से हटवा दिया। इस बीच, आरोपी मीनू राम को कोर्ट में बुलाया गया, जहां उसे जमानत दे दी गई।

मीनू राम ने कहा कि वह निर्दोष है और बीएसईएस ने उसे गलत तरीके से बिजली चोरी मामले में फंसाया है। लेकिन सुनवाई के दौरान उसने खुद ही कबूल कर लिया कि वह बिजली चोरी कर रहा था। इसके साथ ही उसने 29,712 रूपये का जुर्माना भी कंपनी को अदा कर दिया।

सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी पर अलग से और 5000 रूपये का जुर्माना कर दिया, और कहा कि यदि आरोपी जुर्माने की रकम नहीं चुकाता है, तो उसे सात दिन जेल में गुजारने पड़ेंगे।

*दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।*

---

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

प्रशान्त दुआ
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस- 39999870/ 9312007822

चंद्र पी कामत
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस- 39999088/ 9350130304